

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-44/2025

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, कटारी हिल रोड, गयाजी के पत्रांक-1412 दिनांक 07.07.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री आनंद कुमार, (आई0डी0-जे0 12337), कनीय अभियंता (असैनिक), उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गयाजी को उनके प्रथम पुत्री के जन्म के फलस्वरूप बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 के निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 18.11.2025 से 02.12.2025 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, कटारी हिल रोड, गयाजी को उनके पत्रांक-1412 दिनांक 07.07.2026 के प्रसंग में/ अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, गयाजी/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गयाजी/ श्री आनंद कुमार, (आई0डी0-जे0 12337), कनीय अभियंता (असैनिक), उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

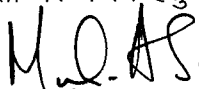
ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 4636

पटना, दिनांक - 12/08/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।